रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 430] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 1970/अग्रहायण 12, 1892
No. 430] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 1970/AGRAHAYANA 12, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 3rd December 1970

S.O. 3880.—Whereas a vancancy has occurred in the Council of States by reason of the death of Shri Phool Singh, a member elected to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before the 23th December, 1970.

[No. 100/CS-UP/3/70(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1970

एस० ओ० 3880—यतः उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री फूल सिंह को अपनी पदावधि के अवसान से पूर्व मृत्यु हो जाने के कारण, राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वे ऐसी हुई रिक्ति को भरने के लिए 28 दिसम्बर, 1970 से पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा० स०-उ०प्र०/3/70 (1)]

S.O. 3881.—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/3/70(1), dated the 3rd December, 1970:—

(a) the 10th December, 1970 (Thursday), as the last date for making nominations;

(b) the 11th December, 1970 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 14th December, 1970 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 23rd December, 1970 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 28th December, 1970 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-UP/3/70(2).]

एस० ओ० 3881.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०सं०—उत्तर प्रदेश/3/70 (1) तारीख 3 दिसम्बर, 1970 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	10 दिसम्बर, 1970 (बृहस्पतिवार)
(ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख	11 दिसम्बर, 1970 (शुक्रवार)
(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख	14 दिसम्बर, 1970 (सोमवार)
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा	23 दिसम्बर, 1970 (बुधवार)
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	28 दिसम्बर, 1970 (सोमवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/रा०सं०उ०प्र० /3/70(2)]

S.O. 3882.—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.30 A.M. to 3.30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/3/70(1), dated the 3rd December, 1970.

[No. 100/CS-UP/3/70(3).]

एस० ओ० 3882—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स० उ० प्र० 3/70 (1) तारीख 3 दिसम्बर, 1970 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10-30-बजे पूर्वाह्न से 3-30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/रा०स०-उ०प्र०/3/70 (3)]

S.O. 3883.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby designates the Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Mandal, Lucknow, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/3/70(1), dated the 3rd December, 1970.

[No. 100/CS-UP/3/70(4).]

एस० ओ० 3883—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०सं०-उ०प्र०/3/70 (1), तारीख 3 दिसम्बर, 1970 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव, उत्तर प्रदेश विधान मंडल लखनऊ को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है ।

[सं० 100/रा० स०-उ०प्र०/3/70 (4)]

S.O. 3884.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, Lucknow, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/3/70(1), dated the 3rd December, 1970, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-UP/3/70(5).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

एस० ओ० 3884—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-उ०प्र०/3/70 (1) तारीख 3 दिसम्बर, 1970 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ की एतद्द्वारा नियुक्ति करता है।

[सं० 100/रा०स०-उ०प्र०/3/70 (5)]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970